**राजस्थान सरकार**
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**
**(राजकीय वादकरण)**

कमांकः प.15(2)राज/वाद/96पार्ट–5 जयपुर, दिनांक : 04-06-2026

:: आदेश ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01.03.2023 द्वारा राज्य में स्थित विभिन्न सिविल न्यायालयों में विचाराधीन दीवानी प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अधिवक्ताओं को 01 वर्ष के लिए अथवा अग्रिम आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए पैनल लॉयर नियुक्त किया गया था।

विभाग के संज्ञान में आया है कि टोंक जिले में स्थित निवाई मुख्यालय पर अधिवक्ता श्री कौशल किशोर जाट पुत्र श्री उदालाल जाट (पंजीयन कमांक–आर/1891/04) द्वारा वर्तमान में भी पैरवी की जा रही है। चुंकि उक्त समसंख्यक आदेश दिनांक 01.03.2023 की समयावधि समाप्त हो गयी है।

अतः अधिवक्ता श्री कौशल किशोर जाट पुत्र श्री उदालाल जाट (पंजीयन कमांक–आर/1891/04) को निर्देशित किया जाता है कि वे सिविल न्यायालयों में विचाराधीन दीवानी प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी नहीं करें।

sd
**(प्रमोद कुमार मलिक)**
**शासन सचिव, विधि**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
3 विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7 संबंधित जिला एवं सैशन न्यायाधीश।
8 संबंधित न्यायालय।
9 संबंधित जिला कलक्टर।
10 संबंधित कोषाधिकारी।
11 संबंधित अधिवक्ता।
12 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
13 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14 रक्षित पत्रावली।

04.06.26
**(प्रमोद कुमार मलिक)**
**शासन सचिव, विधि**